

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 1806 / FP/UK/Others/26775/2017 देहरादून: दिनांक: 30 नवम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत वरुणावत पर्वत के ताम्बाखानी के उपचार कार्य हेतु 1.5292 है० वन भूमि  
का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no -FP/UK/Others/26775/2017)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड  
कॉपी आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर  
सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या FP/UK/Others/26775/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय  
कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती (टिंगो)।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिंगियो, उत्तरकाशी।

(विनोद कुमार)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत वरुणावत पर्वत के ताम्बाखानी के उपचार कार्य हेतु 1.5292 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no -FP/UK/Others/26775/2017)

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद उत्तरकाशी में 1.2842 है। आरक्षित वन भूमि एवं 0.245 है। राजस्व वन भूमि अर्थात कुल 1.5292 है। वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी। तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरती, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः उत्तरकाशी के अन्तर्गत वरुणावत पर्वत के ताम्बाखानी के उपचार कार्य के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

*Mkp*

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेषण निदेशालय, उत्तराखण्ड

*देहरादून*

सरकारी मोहर:

तिथि : ३० / ११ / २०१७

स्थान : देहरादून